

॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक.....

एस0ओ0..... दिनांक.....

'बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2002' (अधिनियम 18, वर्ष 2002) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य सरकार, एतद् द्वारा, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में स्थित जिला व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित एवं कार्यरत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सहायक सत्र न्यायाधीश [सिविल जज (वरीय कोर्ट)] के न्यायालय को 'बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2002' के अधीन दायरवादों के त्वरित विचारण हेतु अभिहित न्यायालय के रूप में गठित करती है;

(क) इन न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता संबंधित प्रमंडल के सभी जिलों की राजस्व सीमाएँ होंगी;

(ख) जहाँ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सहायक सत्र न्यायाधीश पदस्थापित एवं कार्यरत न हों, वहाँ पदस्थापित एवं कार्यरत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सहायक सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, उक्त अधिनियम के अधीन दायरवादों के त्वरित विचारण हेतु, अभिहित न्यायालय होगा;

(ग) यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-7/2003.....³⁴³⁷...../जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/एक्ट-7/2003.....³⁴³⁷...../जे0, पटना, दिनांक-.....²⁸⁻⁵⁻¹⁵.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० प्रति (सॉफ्ट कॉपी) के साथ अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ विधि विभाग को भेजी जाए।

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/एक्ट-7/2003.....³⁴³⁷/जे0, पटना, दिनांक-.....²⁸⁻⁵⁻¹⁵

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-30569 दिनांक-26.05.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/एक्ट-7/2003.....³⁴³⁷/जे0, पटना, दिनांक-.....²⁸⁻⁵⁻¹⁵

- प्रतिलिपि:-
1. महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
 4. मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/एक्ट-7/2003.....³⁴³⁷/जे0, पटना, दिनांक-.....²⁸⁻⁵⁻¹⁵

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सभी जिला दंडाधिकारी, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

स्पीड पोस्ट
द्वारा

ज्ञापांक-ए0/एक्ट-7/2003.....³⁴³⁷/जे0, पटना, दिनांक-.....²⁸⁻⁵⁻¹⁵

प्रतिलिपि:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पटना/गया/सारण (छपरा)/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/सहरसा/पूर्णियाँ/भागलपुर/मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/एक्ट-7/2003.....³⁴³⁷/जे0, पटना, दिनांक-.....²⁸⁻⁵⁻¹⁵

प्रतिलिपि:- रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स, बिहार, पटना/उप-महाप्रबंधक, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पटना/क्षेत्रीय पदाधिकारी, सेबी, उद्योग भवन, पटना/रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, मौर्यालोक, पटना/अध्यक्ष, आई0सी0ए0आई0, 309, जगत ट्रेड सेन्टर, फ्रेजर रोड, पटना/क्षेत्रीय पदाधिकारी, नेशनल हाऊसिंग बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परिसर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)